संख्या: **1:05:138:1:**सीएस
दिनांक: **12.03.2025**

National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) **MUMBAI – 400 051.** नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), **मुंबई-400 051**	**BSE Limited,** Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, **MUMBAI – 400 001.** बीएसई लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी .जे .टावर्स, दलाल स्ट्रीट, **मुंबई-400 001**

विषय: बोर्ड बैठक का परिणाम-सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 **के विनियम** 30 **के अनुसार सूचना।**

महोदया/महोदय,

दिनांक 09.03.2025 के हमारे पिछले संचार के क्रम में, हम सूचित करना चाहते हैं कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के निदेशक मंडल ने आज यानि 12.03.2025 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया और अनुमोदन किया:

1. **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बांड, सावधि ऋण, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) आदि के माध्यम से वित्तीय वर्ष** 2025-26 **के लिए संसाधन जुटाना।**

क्रम सं.	**स्रोत**	**राशि (अधिकतम) (₹ करोड़ में) #**
1.	**दीर्घ/मध्यम अवधि उधार**	
	क. घरेलू मुद्रा के माध्यम से विभिन्न उपकरणों के माध्यम से पूंजीगत लाभ बांड (आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के तहत) और बांड के सार्वजनिक निर्गम (एनएसई और/या बीएसई पर असूचीबद्ध या सूचीबद्ध) से उधार लेना।	1,00,000
	ख. घरेलू मुद्रा उधार के माध्यम से, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से पूंजीगत लाभ बांड और बांड के सार्वजनिक निर्गम को छोड़कर: - (i) निजी प्लेसमेंट - कर योग्य / कर मुक्त बांड / डिबेंचर / ऋण प्रतिभूतियां, सतत / मोचनीय, सुरक्षित / असुरक्षित, संचयी / गैर-संचयी, ब्याज वहन करने वाले या शून्य कूपन बांड, निश्चित / फ्लोटिंग दर बांड (बेंचमार्क के साथ / बिना), गैर-परिवर्तनीय, बुनियादी ढांचा बांड / अधीनस्थ बांड / मुद्रास्फीति सूचकांक बांड / संरचित ऋण प्रतिभूतियां / बाजार से जुड़ी ऋण प्रतिभूतियां / ग्रीन / सोशल / ईएसजी बांड / अन्य बांड / डिबेंचर / ऋण प्रतिभूतियां भौतिक और / या डीमैट रूप में 30 साल	

	तक की अवधि के लिए पुट / कॉल विकल्प के साथ / बिना या समय-समय पर लागू कानूनों के तहत अनुमत अवधि तक और जो एनएसई और / या बीएसई में सूचीबद्ध हो सकते हैं। (ii) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/भारत सरकार आदि से सावधि ऋण (दीर्घ/मध्यम अवधि)। (iii) किसी अन्य दीर्घकालिक साधन के माध्यम से घरेलू उधार।	
	ग. विभिन्न उपकरणों को जारी करने के माध्यम से विदेशी मुद्रा उधार के माध्यम से: (i) ऋण जैसे कि सावधि ऋण, सिंडिकेटेड ऋण, अधीनस्थ ऋण, एफसीएनआर (बी) ऋण, बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण। (ii) बांड/नोट्स जैसे असुरक्षित/सुरक्षित बांड, स्थायी बांड, हरित बांड, अधीनस्थ बांड। (iii) विदेशी मुद्रा उधारी/रुपये में मूल्यवर्गित विदेशी मुद्रा उधारी जुटाने के लिए कोई अन्य साधन। (*लगभग 2.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर)	20000*
2	**अल्पावधि उधार:**	15000
	क. विभिन्न साधनों जैसे अल्पावधि ऋण/आईसीडी (डब्ल्यूसीडीएल/सीसी/ओडी सुविधाओं को छोड़कर) के माध्यम से घरेलू मुद्रा उधार के माध्यम से, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान किसी भी समय बकाया। ख. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किसी भी समय बकाया एफसीएनआर(बी) ऋण जैसे उपकरणों को जारी करके विदेशी मुद्रा उधार के माध्यम से।	
	ग. वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से	5000
	कुल	**1,40,000**

 # नोट: वित्तीय वर्ष के दौरान जुटाई गई और पूर्वभुगतान की गई धनराशि को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा।

- कंपनी वित्त वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) के तहत जुटाई गई धनराशि को छोड़कर ₹1,40,000 करोड़ तक उधार ले सकती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(सी) के तहत और धारा 179(3)(सी) और 179(3)(डी) के अनुसार शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित उधार सीमा के अधीन एक या अधिक किश्तों/श्रृंखलाओं में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से है। जैसा कि ऊपर बताया गया है।

- निदेशक (वित्त) की सिफारिश पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179(3)(सी) और 179(3)(डी) के तहत निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित समग्र सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष के दौरान उधार योजना के विभिन्न स्रोतों के बीच राशि का आदान-प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

2. वित्त वर्ष 2024-25 **के लिए** ₹10/- **प्रत्येक के चुकता इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर (टीडीएस की कटौती के अधीन) रुपये …….. /- (रुपये …… और पैसे ……. मात्र) की दर से चौथे अंतरिम लाभांश की घोषणा।**

यह सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चौथे अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता का पता लगाने के उद्देश्य से 19.03.2025 (बुधवार) को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में माना जाएगा।

उपर्युक्त अंतरिम लाभांश के भुगतान/प्रेषण की तिथि 11.04.2025 को या उससे पहले होगी।

आगे यह उल्लेख करना है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को लाभांश के भुगतान के समय आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) काटना आवश्यक है। हालांकि, यदि कोई शेयरधारक चाहता है कि उसका कर कम दरों पर काटा जाए या आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कोई कर नहीं काटा जाए, तो उसे स्कैन की गई प्रति जमा करनी होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पैन, फॉर्म एल5जी/15एच और अन्य आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित लिंक पर देखें:-

https://ris.kfintech.com/form15/forms.aspx?q=0

19.03.2025 के बाद कम दरों पर कर निर्धारण/कटौती पर कोई संचार नहीं किया जाएगा।

3. कंपनी का नाम "पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड" से बदलकर "पीएफसी लिमिटेड" या ऐसा कोई अन्य नाम जो आरओसी द्वारा अनुमोदित हो:

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों के विविधीकरण, बिजली के अलावा अन्य क्षेत्रों को वित्त पोषण शामिल करने और 'पीएफसी' को एक ब्रांड नाम होने, जिसे भारत और विदेशों में बड़े पैमाने पर जनता द्वारा मान्यता प्राप्त है, को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने कंपनी के नाम को "पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड" से "पीएफसी लिमिटेड" या ऐसे अन्य नाम में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है; और पीएफसी के मेमोरेंडम और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन में परिणामी संशोधन के अधीन है। शेयरधारकों, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंजों की अपेक्षित मंजूरी और ऐसी अन्य मंजूरियां जो आवश्यक हो सकती हैं।

बोर्ड की बैठक ..... पर शुरू हुई और ..... पर समाप्त हुई। इसके अलावा, हमारे पिछले संचार दिनांक 09.03.2025 के संदर्भ में, अब ट्रेडिंग विंडो 15.03.2025 से खुली है।

यह आपकी जानकारी एवं रिकार्ड हेतु प्रस्तुत है।

धन्यवाद,

भवदीय,
पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com